दिनांक-17.11.2014 को सचिव विधि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी विभागों के विधिक मामलों के नोडल पदाधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:-

---

बैठक का संचालन सचिव, विधि विभाग, बिहार के द्वारा किया गया। उनके द्वारा विधिक मामलों के लिए नामित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि यह बैठक मुख्य रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिनांक-06.12.2014 को राष्ट्रीय लोक अदालत में विभागों के लंबित मामलों को लोक अदालत में रखे जाने से संबंधित है।

बैठक में बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को यह निर्देश दिया गया है कि अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाए।

बैठक में यह भी बताया गया कि पूर्व में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के निष्पादन में बिहार राज्य 7वें नंबर पर था। अत: बिहार राज्य को मामलों के निष्पादन में इस वर्ष प्रथम स्थान पर लाने का उद्देश्य होना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि सभी विभागों में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधानों के तहत् शिकायत निवारण समिति का गठन किया जा चुका है। अत: विभागों में प्राप्त शिकायतों का विभागीय स्तर पर निष्पादन करने का प्रयास करें ताकि कम से कम मामले न्यायालय में जायें।

बैठक में सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि सभी अपने-अपने विभाग के मामलों की समीक्षा कर यह निश्चित कर लें कि किन-किन मामलों को लोक अदालत में रखा जा सकता है। इस कार्य हेतु यथाशीघ्र आवश्यक कदम उठाने का निदेश उपस्थित नोडल पदाधिकारियों को दिया गया ताकि उनके द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर उन मामलों को लोक अदालत में रखा जा सके। साथ ही सभी नोडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि ऐसे मामले जिनमें आपसी सहमति से निष्पादन हो सके वैसा प्रस्ताव अपने वरीय पदाधिकारी के समक्ष रखने का प्रयास करें तथा ऐसे प्रस्तावों की सूचना याचिकाकर्त्ता को भी दिया जाय।

बैठक में पेंशन, सेवांत लाभ, Daily Wages, विभागीय कार्यवाही जैसे विषयों से संबंधित मामलों पर चर्चा किया गया। इन मामलों को विभागीय स्तर से निष्पादित कराने का प्रयास करने के लिए नोडल पदाधिकारियों को प्रेरित किया गया।

बैठक में गृह विभाग के नोडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनके विभाग में जे0पी0 स्वतंत्रता आन्दोलन से संबंधित मामले में कारवाई कर दी गई है। अत: उन मामलों को लोक अदालत में रखा जा सकता है। इसी प्रकार परिवहन विभाग के नोडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि उनके विभाग में के अधिकांश मामले BSRTC के भुगतान से संबंधित है।

बैठक में नोडल पदाधिकारियों के कार्यों की चर्चा की गयी एवं बताया गया कि उनके स्तर से मामलों को लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही यह भी बताया गया कि बहुत से मामले में विभाग को पहले चरण में ही Withdraw कर लेना चाहिए था परंतु मामला चलता रहता है, जिसके कारण राज्य

सरकार को अपने पक्ष रखने हेतु अधिवक्ताओं पर अनावश्यक खर्च वहन करना पड़ता है। न्यायालयों में Service Matter के सबसे अधिक मामले लंबित रहने की चर्चा भी किया गया। जिस कारण आम नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रति न्यायपालिका की कार्यवाही प्रभावित होती है।

बैठक में उपस्थित नोडल पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया गया कि यदि संबंधित विभाग लोक अदालत में रखे जाने वाले मामलों के संबंध में कोई विधिक परामर्श की अपेक्षा रखते हों तो इस संबंध में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर सकते है।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0/ए0जे0-57/2012/7836 जे0 पटना, दिनांक-20.11.14

प्रतिलिपि:- सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव, बिहार।